

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या—९/उपांकीट०—६८/२०१२—
प्रेषक,

/कृ०, पटना, दिनांक

अगस्त, २०१५

बी० कार्तिकेय, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में

श्री एच०पी०एस० भंगु,
मेसर्स घार्डा केमिकल्स लि०,
प्रथम तल, नियर एपेक्स एकेडमी,
छोटी पहाड़ी, प००—बड़ी पहाड़ी,
अगमकुँआ, पटना—७

विषय :—

कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञाप्ति संख्या ५० दिनांक १८.०९.२०१२ का नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन, कोषागार चालान एवं अन्य अभिलेखों तथा अनुमण्डज कृषि पदाधिकारी पटना सदर से प्राप्त स्थल जॉच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम १९६८ नियमावली १९७१ एवं आदेश १९८६ में निहित प्रावधानों के आलोक में स्वनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों से संबंधित बिक्री/भंडारण अनुज्ञाप्ति संख्या ५० दिनांक १८.०९.२०१२ का नवीकरण उनके प्रिंसिपल सर्टिफिकेट एवं विनिर्माण अनुज्ञाप्ति की वैद्यता तिथि के आधार पर दिनांक ३१.१२.२०१६ तक के लिए किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम	क्र०	कीटनाशी का नाम
१	Alphamethrin 10% EC	२२	Metalaxyl 8%+Mancozeb 64% WP
२	Quinalphos 25% EC	२३	Hexaconazole 5% EC
३	Deltamethrin 2.8% EC	२४	Pretilachlor 50% EC
४	Chlorpyrifos 50% EC	२५	Imidachloprid 17.8% SL
५	Isoproturon 75% WP	२६	Deltamethrin 1.8% EC
६	Indoxacarb 14.5% SC	२७	Acephate 75% SP
७	Cypermethrin 10% EC	२८	Atrazine 50% WP
८	Deltamethrin 2.5% Flow	२९	Profenofos 50% EC
९	Deltamethrin 2.5% WP	३०	Acetamiprid 20% SP
१०	Chlorpyripos 20% EC	३१	Chlorpyrifos 16%+Alpha Cypermethrin 1% EC
११	Sulfosulfuron 75% WG	३२	Triazophos 35%+Deltamethrin 1% EC
१२	Fenvalerate 20% EC	३३	Chlorpyrifos 50%+Cypermethrin 5% EC
१३	Fipronil 0.3% GR	३४	Mapiquat chloride 5% AS
१४	Fipronil 5% SC	३५	Piroxofop-Propargyl 15% WP
१५	Anilofos 30% EC	३६	Carbendazim 50%WP
१६	Glyphoste 41% SL	३७	Deltamethrin 1.25% ULV
१७	Pendimethalin 30% EC	३८	Temephos 1% GR
१८	Monocrotophos 36% SL	३९	Carbendazim 12%+ Mancozeb 63% WP
१९	Triazophos 40% EC	४०	Temephos 50% EC
२०	Mancozeb 75% WP	४१	Metsulfuron Methyl 20% WP
२१	Cypermethrin 25% EC		

२—उपर्युक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम १९६८ नियमावली १९७१ के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा :— मेसर्स घार्डा केमिकल्स लि०, प्रथम तल, नियर एपेक्स एकेडमी, छोटी पहाड़ी, प००—बड़ी पहाड़ी, अगमकुँआ, पटना—७

३—यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम १९६८, नियमावली १९७१, आदेश १९८६ में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

४—अनुज्ञाप्त प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

५—भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

६—अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजें।

7—अमानक/ मिलावटी/ नकली कीटनाशी पाये जाने पर विर्निमाता, राज्य में उनके कन्साइलर/एजेन्ट/विक्रय प्रतिनिधि एवं विक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

8— कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञाप्ति 50 दिनांक 18.09.2012 मूल रूप में संलग्न है। कृपया प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,
हो/-
(बीठ कार्तिकेय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना। *

ज्ञापांक 4033

/कृ०, पटना, दिनांक 21 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि— (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शाष्य) उपादान, बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं शाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Y/10/8
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

4-८१२५५८